

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी— विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
12/2022

दायर दिनांक  
18.01.2022

निर्णय दिनांक  
01.04.2022

## अनवान

1. सुन्दर बाई पत्नि छगनलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

—प्रार्थीया

## बनाम

1. गोटुलाल पिता किशना जाति जाट आयु वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. मुकेश पिता छगनलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. केसर पुत्री किशना जाति जाट आयु वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
4. देवीलाल पिता रामेश्वर जाति जाट आयु वयस्क निवासी कोलपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
5. मोहन पिता शंकर शर्मा जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी कोलपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
6. सीताराम पिता दयाराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
7. किशोर पिता उंकार जाति जाट आयु वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
8. रामेश्वर पिता भूरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
9. भेरु पिता लेहरु जाति जाट आयु वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
10. कालु पिता रामा जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
11. रतन पिता गोपीलाल ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
12. शंकर पिता नंदा नाथ जाति नाथ आयु वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

—अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम:-

—:: निर्णय ::-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रोलिया पटवार हल्का रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 86 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1454/701, 1455/702 कुल किता 2 कुल रकबा 0.33 है0 तथा खाता संख्या 66 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1363, 1373, 650, 745, 92 कुल किता 5 कुल रकबा 1.38 है0 प्रार्थीया के संयुक्त सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीया की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीया वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 01.04.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के विरुद्ध वकील प्रार्थी ने कार्यवाही नहीं चाही। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के विरुद्ध कार्यवाही ड्राप की जाती है। तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 4 से लगायत 12 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीया द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीया द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीया अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीया आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा रोलिया पटवार हल्का रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत्

2074–2077 के खाता संख्या 86 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1454/701, 1455/702 कुल किता 2 कुल रकबा 0.33 है0 तथा खाता संख्या 66 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1363, 1373, 650, 745, 92 कुल किता 5 कुल रकबा 1.38 है0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीया से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 01.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विनोद कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
कपासन